

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षक,
पुरुष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-5

लखनऊ; दिनांक : 19 जून, 2020

विषय: कोविड-19 रोगियों को डिस्चार्ज किये जाने हेतु संशोधित डिस्चार्ज पॉलिसी।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में भर्ती कोविड 19 रोग के रोगियों को डिस्चार्ज किये जाने हेतु संशोधित दिशा-निर्देश निम्नवत् हैं:-

1. लक्षण विहीन रोगियों के लिए :-

लक्षण विहीन (एसिम्प्टोमैटिक) सभी रोगियों को अगर कोई लक्षण प्रकट नहीं होते हैं तो भर्ती की तिथि के 10वें दिन बिना किसी जांच के डिस्चार्ज किया जायेगा परन्तु उन्हें 7 दिनों तक घर पर होम क्वारेन्टाईन में रहने हेतु निर्देशित किया जायेगा।

2. शुरुआती लक्षण वाले अथवा हल्के/कम तीव्रता के (Mild) लक्षणों वाले रोगियों के लिए :-

ऐसे रोगी जिनमें बहुत हल्के लक्षण प्रदर्शित हुए हैं यथा हल्की खांसी, बुखार, गले में दर्द, गले में खराश इत्यादि। हल्के इन्फेक्शन के लक्षण वाले रोगियों को डिस्चार्ज किये जाने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि डिस्चार्ज से पूर्व रोगी तीन दिन तक लक्षण विहीन है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त रोगी की जांच टू नाट मशीन द्वारा लक्षण विहीन होने के तीन दिवस पश्चात अथवा भर्ती की तिथि के 12वें दिन (दोनों में से जो तिथि बाद में आती हो) की जाएगी। जांच रिपोर्ट ऋणात्मक आने पर रोगी को डिस्चार्ज कर दिया जायेगा।

3. मध्यम तीव्रता वाले लक्षणों (Moderate) तथा गंभीर रोगियों (Severe) हेतु के लिए :-

क. मध्यम तीव्रता (Moderate) श्रेणी में वे मरीज आएंगे जिनमें लोअर रेस्पिरेट्री ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लक्षण प्रदर्शित हुए हों, यथा खांसी बुखार इत्यादि के साथ साँस लेने में परेशानी, नेजल फ्लेयरिंग, पसली चलना, तीव्र श्वास दर आदि। इस प्रकार के रोगियों को L-2/L-3 Facility (Dedicated COVID Health Center) पर भर्ती अथवा संदर्भित किया जायेगा।

ख. गंभीर रोगी की श्रेणी में वे मरीज आयेंगे जिन्हें ऑक्सीजन दिए जाने पर भी ये मरीज ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तथा वेंटीलेटर की आवश्यकता है अथवा जो इम्यूनो कम्प्रोमाईज्ड (कैंसर अथवा एच आई वी रोगी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाए हुए व्यक्ति) हैं। इस प्रकार के रोगियों को L-2/L-3 Facility (Dedicated COVID Health Center) पर भर्ती अथवा संदर्भित किया जायेगा।

उपरोक्त श्रेणी के रोगियों को डिस्चार्ज करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि:-

1. रोगी में किसी प्रकार के लक्षण प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं।
2. डिस्चार्ज किये जाने से पूर्व तीन दिवसों तक रोगी निरंतर ज्वर विहीन है।
3. रोगियों को ऑक्सीजन सेचुरेशन बिना किसी सपोर्ट के 94% से ऊपर है।

रोगियों की फॉलो-अप जांच टू नाट विधि से रोगी के लक्षण विहीन होने के तीन दिवस उपरान्त अथवा प्रथम सैंपल (डायग्नोस्टिक सैंपल) लिए जाने के 12 दिन (दोनों में से जो तिथि बाद में आती हो) की जायेगी, रिपोर्ट ऋणात्मक आने की स्थिति में डिस्चार्ज किया जायेगा।

4. अन्य आवश्यक निर्देश-

1. यह सुनिश्चित किया जाए कि कोविड फैसिलिटी में भर्ती रहने की अवधि के दौरान रोगी द्वारा पहने गए वस्त्रों को भली-भांति विसंक्रमित कर दिया गया है। रोगियों के मोबाइल फोन, जूते चप्पल तथा अन्य सभी सामग्री का विसंक्रमण अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर अथवा हाइड्रोजन पराक्साइड के द्वारा सुनिश्चित किया जाए।
2. इन मरीजों को अच्छी प्रकार से समझा दिया जाए कि वह घर पर जाने के उपरांत वर्तमान में पहने गए कपड़ों को गर्म पानी में डिटर्जेंट के साथ अच्छी तरह धुलवाने के पश्चात ही पुनः प्रयोग करें।
3. होम आइसोलेशन के दिशा निर्देशों सहित अन्य सभी आवश्यक निर्देशों का अनुपालन करने के सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर कराये जाएँ। सहमति पत्र के प्रावधानों को विस्तार से समझाया जाए तथा यह बताया जाये कि किस प्रकार होम आइसोलेशन के नियमों का पालन करने पर वे अपने परिवार तथा समाज में इस बीमारी के प्रसार को रोकने में मदद कर पाएंगे, उन्हें पुनः आर0टी0पी0सी0आर0 परीक्षण कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।
4. डिस्चार्ज के बाद पुनः लक्षण प्रकट होने पर कोविड केयर सेन्टर/हेल्प लाइन नम्बर पर सूचित करने हेतु आवश्यक रूप से निर्देशित करें।
5. डिस्चार्ज होने के 14 दिन बाद पुनः लक्षण प्रकट होने पर व्यक्ति को नये रोगी के रूप में पंजीकृत किया जाए।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने का कष्ट करें।

भवदीय,
19-6-20
(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1307(1)/पांच-5/2020, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।
5. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
19/6/2020
(शत्रुञ्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

19/6/2020
20/6/2020
19.06.2020